

राजस्थान सरकार  
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :— प. 2 (1) साप्र / 2 / 2015

जयपुर, दिनांक 1/12/2016

—: आदेश :—

श्री नरेश कुमार सोयल, आर.पी.एस., सहायक पुलिस आयुक्त, वृत्त आदर्श नगर, जयपुर जिनकी द्वितीय श्रेणी की वरियता 10/2012 है तथा सेवानिवृत्ति दिनांक 31.12.2034 है, के आधार पर उनके निवास हेतु इस विभाग के आदेश संख्या प. 2 (1) साप्र / 2 / 2012 दिनांक 05.10.2016 के द्वारा आवंटित राजकीय आवास संख्या गा/34, गांधीनगर, जयपुर का उनकी पारिवारिक परिस्थितियों/बीमारी को देखते हुए राजकीय आवास संख्या गा/3, गांधीनगर, जयपुर आवंटित/परिवर्तित के स्थान पर नियमों में शिथिलता देते हुए राजकीय आवास संख्या गा/37, गांधीनगर, जयपुर का (रिक्त होने की प्रत्याशा में) नियमानुसार निम्न शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटन/परिवर्तन किया जाता है :—

शर्तः—

- आवास का कब्जा आवास आवंटन के 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
- उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
- सेवानिवृत्ति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
- जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
- स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
- चूंकि उक्त अधिकारी को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(गा)ए के अनुसरण में आवास के रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में आवंटन स्वीकार करने में असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
- आवंटी को आवंटित राजकीय आवास संख्या का कब्जा लेने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता/आवासीय अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी :—
  - आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे हैं।
  - आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित नहीं किया गया है।
- उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर जारी अन्य शर्त भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(इन्द्र सिंह राव)  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

- जिला कलक्टर, जयपुर।
- मुख्य अभियन्ता (भवन), सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- आयुक्त पुलिस, जयपुर।
- निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
- कोषाधिकारी कोष कार्यालय, जयपुर शहर, जयपुर।
- अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड-गा, जयपुर।
- अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग हीराबाग/गांधीनगर, जयपुर।
- अधिशाषी अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम, लिमिटेड, रामबाग सर्किल, जयपुर।
- संबंधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटित आवास का नियमानुसार किराया कटौती की कार्यवाही को सुनिश्चित करायें साथ ही आवंटी द्वारा निर्धारित अवधि में कब्जा लेने में असफल रहने की स्थिति में आवंटन आदेश की शर्त संख्या-6 की पालना को भी अमल में लावें।
- निदेशक, उद्यान विज्ञ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
- श्री नरेश कुमार सोयल, आर.पी.एस. निवासी-गा/34, गांधीनगर, जयपुर को भेजकर लेख है कि परिवर्तित आवास संख्या गा/37, गांधीनगर का निर्धारित अवधि में कब्जा लेकर पूर्व आवंटित आवास रिक्त कर सूचित करावें।
- सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी, गांधीनगर, जयपुर को भेजकर लेख है कि कृपया आदेश की शर्त संख्या-7 की पालना को सुनिश्चित कर कब्जा देवें। कृपया आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावें।
- ✓ सहायक प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग जयपुर—कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
- रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव